

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज 0**

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 52/2021
GCMS NO. : 2021/111

--: वादी :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

1. शंकरलाल वल्द स्व गणेशराम
जाति- कुमावत निवासी- बेरा
भादवा ग्राम- समौखी हाल
निवासी- निमाज तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज 0।

1. मोहन लाल वल्द गणेशराम
2. पेमाराम वल्द गणेशराम
3. अणदाराम वल्द गणेशराम
4. लक्ष्मणराम वल्द गणेशराम
जातियान- कुमावत,
निवासीगण- बेरा भादवा ग्राम
समौखी, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली राज 0।
5. तहसीलदार तहसील- जैतारण
जिला पाली (राज)।

**दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजुः 14/06/2021

उपस्थित:- श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय ::-

दिनांक:- 15/02/2023

वकील मय वादी ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई भू.अ.नि. निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सामलाती स्थित है। जिसके खसरा संख्या 79 रकबा 01-20 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 01-09 बीघा, खसरा नम्बर 88/2 रकबा 00-17 बीघा, खसरा नम्बर 84/1 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्बर 91/1 रकबा 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 95/1 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 97 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 99/1 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 106/1 रकबा 01-19 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 01-12 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 02-06 बीघा, खसरा नम्बर 164 रकबा 03-04 बीघा, खसरा नम्बर 195/270 रकबा 03-09 बीघा कुल खसरा 15 कुल रकबा 22. बीघा 14 बिस्वा की आई हुई है। जिसकी इस वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम जाना जायेगा। विवादित भूमि का चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। वादी का सम्पूर्ण आराजी मे से 1/5 हिस्सा शामलाती दर्ज है, परन्तु मनागना से हिस्से के अनुसार काश्त करते हैं। वादी के हिस्से अनुसार नजरी नक्शा प्रत्येक

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

खसरा नक्शा व काश्त के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा अनुसार नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शाया अनुसार कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के द्वारा लगातार काश्त में दखलन्दाजी करते आ रहे हैं। खसरा संख्या 90 गै.मु. बेरा वादी बंट के अनुसार बंट पानी का दुरुपयोग प्रतिवादी संख्या 01 से 04 लगातार करते आ रहे हैं। एवं वादी के बंट में जबरदस्ती फसल बो देते हैं। वादी ने कई बार मना करने पर भी हिस्से में जानबुझकर दखलन्दाजी करते जा रहे हैं। इसलिये वादी को वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। वादपत्र कृषि का नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 79, 81, 84/1, 88/2, 91/1, 95/1, 97, 99/1, 102, 106/1, 108, 114, 117, 164, 195/270 उपरोक्त खसरा नम्बर का नजरी नक्शा वादी ने अपने हिस्से में हरे रंग से दर्शाया अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त नजरी नक्शा के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर में 1/5 हिस्सा अलग रकबा एवं नक्शा ट्रेस में अलग (करके) दर्शाया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करके तरमीम किया जाने के योग्य है। वादी प्रतिवादी संख्या 01 से 04 में बीच में तनाव रहने से आपसी द्वेष भावना एवं लड़ाई झगड़ा का वातावरण रहता है। इसलिये प्रत्येक खसरा नम्बर में वादी के हिस्सा 1/5 को अलग करके जामबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में अलग से नजरी नक्शा के अनुसार अलग दर्शाया जावे ताकि वाद विवाद एवं सिचाई व काश्त करने में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं हो सके। इसलिये वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को दिनांक 08.06.2021 बंटवाड़ा करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने ऐलानिया धमकी दी कि हम तो 20 वर्षों से जबरदस्ती काश्त करते हैं। इसलिये (हम) बंटवाड़ा नहीं करेंगे एवं मोहनलाल ने जबरदस्ती खेत में जीरा फसल बो कर बिना हिस्सा दिये पूरी फसल नहीं ले गया इसलिये वाद विवाद आगे न बढे। इसलिये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने की आवश्यकता होने से श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 05 को पक्षकार बनाने के पहले दो माह विधिक नोटिस के प्रोविजन की वजह से अलग से दो माह विधिक नोटिस अवधि के कन्डोन करने एवं दावा पेश करने की इजाजत के लिये अलग से धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करके दावा पेश की इजाजत ली जा रही है। वादी का बिनाय दावा बंटवाड़ा का प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने दिनांक 08.06.2021 को बंटवाड़ा करने से मना करने से मना करने से वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण जवाब दावा पेश नहीं कर राजीनामा एवं सहमति जाहिर कि हस्तगत वाद में वादी के साथ प्रतिवादीगण का भी माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जावे। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र, राजीनामा एवं दस्तावेजात् गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस



अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई भू.अ.नि. निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 79, 81, 84/1, 88/2, 91/1, 95/1, 97, 99/1, 102, 106/1, 108, 114, 117, 164, 195/270 वादी एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई भू.अ.नि. निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 79 रकबा 01-20 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 01-09 बीघा, खसरा नम्बर 88/2 रकबा 00-17 बीघा, खसरा नम्बर 84/1 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्बर 91/1 रकबा 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 95/1 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 97 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 99/1 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 106/1 रकबा 01-19 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 01-12 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 02-06 बीघा, खसरा नम्बर 164 रकबा 03-04 बीघा, खसरा नम्बर 195/270 रकबा 03-09 बीघा कुल खसरा 15 कुल रकबा 22-14 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/979 दिनांक 22/10/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू०अ०/22/5192 दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई भू.अ.नि. निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की 79, 81, 84/1, 88/2, 91/1, 95/1, 97, 99/1, 102, 106/1, 108, 114,

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

117, 164, 195/270 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान
1	शंकरलाल पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा० देह खातेदार रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102	0.0405	चा. चारम	1.17
		108/2	0.0518	चा. चारम	
		164	0.1036	बा. अव्वल	
		195/270	0.1117	बा. दोयम	
		79	0.0323	चा. दोयम	
		81	0.0469	चा. दोयम	
		88/2	0.0276	चा. दोयम	
		91/6	0.0210	चा. दोयम	
		95/1	0.0129	चा. दोयम	
		106/3	0.0631	चा. चारम	
		99/1	0.0161	चा. चारम	
		117	0.0632	चा. चारम	
		114	0.0097	चा. दोयम	
		84/1	0.0098	चा. दोयम	
97	0.0130	चा. दोयम			
	योग	15	0.6232		1.17
2	मोहनलाल पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102/4	0.0404	चा. चारम	1.17
		108/4	0.0518	चा. चारम	
		164/4	0.1036	बा. अव्वल	
		195/6	0.1117	बा. दोयम	
		79/4	0.0324	चा. दोयम	
		81/4	0.0469	चा. दोयम	
		88/5	0.0275	चा. दोयम	
		91/4	0.0211	चा. दोयम	
		95/4	0.0129	चा. दोयम	
		106/5	0.0631	चा. चारम	
		99/4	0.0162	चा. चारम	
		117/6	0.0632	चा. चारम	
		114/4	0.0098	चा. दोयम	
		84/6	0.0097	चा. दोयम	
97/4	0.0130	चा. दोयम			
	योग	15	0.6232		1.17



3.	पेमाराम पुत्र गणेशराम जाति- कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज० मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102/5	0.0405	चा. चारम	1.17
		108/5	0.0518	चा. चारम	
		164/5	0.1036	बा. अव्वल	
		195/7	0.1117	बा. दोयम	
		79/5	0.0324	चा. दोयम	
		81/5	0.0469	चा. दोयम	
		88/6	0.0275	चा. दोयम	
		91/5	0.0211	चा. दोयम	
		95/5	0.0129	चा. दोयम	
		106/6	0.0631	चा. चारम	
		99/5	0.0162	चा. चारम	
		117/7	0.0632	चा. चारम	
		114/5	0.0097	चा. दोयम	
		84/7	0.0097	चा. दोयम	
		97/5	0.0129	चा. दोयम	
	योग	15	0.6232		1.17
4.	अणदाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा निमाज	102/3	0.0404	चा. चारम	1.17
		108	0.0518	चा. चारम	
		164/2	0.1036	बा. अव्वल	
		195/4	0.1117	बा. दोयम	
		79/2	0.0324	चा. दोयम	
		81/2	0.0470	चा. दोयम	
		88/3	0.0275	चा. दोयम	
		91/3	0.0210	चा. दोयम	
		95/2	0.0130	चा. दोयम	
		106/1	0.0632	चा. चारम	
		97/2	0.0129	चा. दोयम	
		99/2	0.0162	चा. चारम	
		117/4	0.0634	चा. चारम	
		114/2	0.0097	चा. दोयम	
84/4	0.0097	चा. दोयम			
	योग	15	0.6232		1.17
5.	लक्ष्मणराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज० मरुधरा बैंक शाखा निमाज	102/2	0.0404	चा. चारम	1.17
		108/3	0.0518	चा. चारम	
		164/3	0.1036	बा. अव्वल	

	195/5	0.1117	बा. दायम	
	79/3	0.0324	चा. दायम	
	81/3	0.0470	चा. दायम	
	88/4	0.0275	चा. दायम	
	91/1	0.0210	चा. दायम	
	95/3	0.0130	चा. दायम	
	106/4	0.0632	चा. चारम	
	97/3	0.0129	चा. दायम	
	99/3	0.0162	चा. चारम	
	117/5	0.0631	चा. चारम	
	114/3	0.0097	चा. दायम	
	84/5	0.0097	चा. दायम	
	15	0.6232		1.17

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15/02/2023 को सर-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

:- वादी :-

बनाम

:- प्रतिवादीगण :-

1. शंकरलाल वल्द स्य गणेशराम
जाति- कुमावत निवासी- बेरा
भादवा ग्राम- समौखी हाल
निवासी- निमाज तहसील-
जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. मोहन लाल वल्द गणेशराम
2. पेमाराम वल्द गणेशराम
3. अणदाराम वल्द गणेशराम
4. लक्ष्मणराम वल्द गणेशराम
जातियान- कुमावत, निवासीगण-
बेरा भादवा ग्राम समौखी,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
राज०।
5. तहसीलदार तहसील- जैतारण
जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत बँटवाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 52/2021
निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 15.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु व
हाजरी श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब
मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी
नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं
कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई भू.अ.नि. निमाज तहसील जैतारण
जिला पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की
79, 81, 84/1, 88/2, 91/1, 95/1, 97, 99/1, 102, 106/1, 108,
114, 117, 164, 195/270 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से
की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगाान
1	शंकरलाल पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा० देह खातेदार रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102	0.0405	चा. चारम	1.17
		108/2	0.0518	चा. चारम	
		164	0.1036	बा. अव्वल	
		195/270	0.1117	बा. दोयम	
		79	0.0323	चा. दोयम	
		81	0.0469	चा. दोयम	
		88/2	0.0276	चा. दोयम	
		91/6	0.0210	चा. दोयम	
		95/1	0.0129	चा. दोयम	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

		106/3	0.0631	चा. चारम	
		99/1	0.0161	चा. चारम	
		117	0.0632	चा. चारम	
		114	0.0097	चा. दायम	
		84/1	0.0098	चा. दायम	
		97	0.0130	चा. दायम	
	योग	15	0.6232		1.17
2	मोहनलाल पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102/4	0.0404	चा. चारम	1.17
		108/4	0.0518	चा. चारम	
		164/4	0.1036	बा. अब्बल	
		195/6	0.1117	बा. दायम	
		79/4	0.0324	चा. दायम	
		81/4	0.0469	चा. दायम	
		88/5	0.0275	चा. दायम	
		91/4	0.0211	चा. दायम	
		95/4	0.0129	चा. दायम	
		106/5	0.0631	चा. चारम	
		99/4	0.0162	चा. चारम	
		117/6	0.0632	चा. चारम	
		114/4	0.0098	चा. दायम	
		84/6	0.0097	चा. दायम	
		97/4	0.0130	चा. दायम	
	योग	15	0.6232		1.17
3.	पेमाराम पुत्र गणेशराम जाति- कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज0 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा निमाज	102/5	0.0405	चा. चारम	1.17
		108/5	0.0518	चा. चारम	
		164/5	0.1036	बा. अब्बल	
		195/7	0.1117	बा. दायम	
		79/5	0.0324	चा. दायम	
		81/5	0.0469	चा. दायम	
		88/6	0.0275	चा. दायम	
		91/5	0.0211	चा. दायम	
		95/5	0.0129	चा. दायम	
		106/6	0.0631	चा. चारम	
		99/5	0.0162	चा. चारम	
		117/7	0.0632	चा. चारम	
		114/5	0.0097	चा. दायम	



		84/7	0.0097	चा. दोयम	
		97/5	0.0129	चा. दोयम	
	योग	15	0.6232		1.17
4.	अणदाराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा निमाज	102/3	0.0404	चा. चारम	1.17
		108	0.0518	चा. चारम	
		164/2	0.1036	बा. अव्वल	
		195/4	0.1117	बा. दोयम	
		79/2	0.0324	चा. दोयम	
		81/2	0.0470	चा. दोयम	
		88/3	0.0275	चा. दोयम	
		91/3	0.0210	चा. दोयम	
		95/2	0.0130	चा. दोयम	
		106/1	0.0632	चा. चारम	
		97/2	0.0129	चा. दोयम	
		99/2	0.0162	चा. चारम	
		117/4	0.0634	चा. चारम	
		114/2	0.0097	चा. दोयम	
		84/4	0.0097	चा. दोयम	
	योग	15	0.6232		1.17
5.	लक्ष्मणराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार रहन राज0 मरुधरा बैंक शाखा निमाज	102/2	0.0404	चा. चारम	1.17
		108/3	0.0518	चा. चारम	
		164/3	0.1036	बा. अव्वल	
		195/5	0.1117	बा. दोयम	
		79/3	0.0324	चा. दोयम	
		81/3	0.0470	चा. दोयम	
		88/4	0.0275	चा. दोयम	
		91/1	0.0210	चा. दोयम	
		95/3	0.0130	चा. दोयम	
		106/4	0.0632	चा. चारम	
		97/3	0.0129	चा. दोयम	
		99/3	0.0162	चा. चारम	
		117/5	0.0631	चा. चारम	
		114/3	0.0097	चा. दोयम	
		84/5	0.0097	चा. दोयम	
	योग	15	0.6232		1.17

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जायें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जायें। वादीगण के फब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए रथाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जायें। पत्रावली फैसल शुमार हीकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो। नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-..... को अदा करें ।

बसिख्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/02/2023 को जारी किया गया ।



(श्यामसुन्दर मिश्रा)
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अदालत, जिला पाली
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०६	-००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	-००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	-००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील		/	खर्चा गवाहान		/
खर्चा गवाहान	०५	-००	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
मिजान:-		११-००	मिजान:-		०१-००

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जायें ।